



शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेड .

(महाराष्ट्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी)
गृह निर्माण भवन, 5 वा माला, वांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 .
☎ 26591087/0588 . ईमेल: sppl_mumbai@rediffmail.com; वेबसाईट: www.sppl.biz

सूचना

माटुंगा लेवर कैम्प, धारावी में वचे हुए फ्लैटों और दूकानों की विक्री के लिए
(09 जून 2009 और 10 जून 2009 के प्रकाशनों में जारी किए गए विज्ञापन के संशोधन के क्रम में)

शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेड (एसपीपीएल महाराष्ट्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी) ने 29 मई 2009 के प्रकाशनों के माध्यम से जी/एन वार्ड, मुंबई - 17 के धारावी डिवीजन के प्लॉट सी . एस . सं . 25 (भाग), 45 (भाग) और 55 (भाग) पर, अपनी झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत, स्थित भूतल + 7 आरसीसी भवनों यानी (एम1), (एम2) और (एम3) में वचे हुए 23 फ्लैटों और 15 दूकानों की विक्री के लिए मुहरबंद प्रस्ताव / विड आमंत्रित किए।

लेकिन विक्री की प्रक्रिया यानी मुहरबंद विडों को खोलने की तारीख 09 जून और 10 जून 2009 के समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के माध्यम से स्थगित कर दी गई। सूचना में यह उल्लेख भी किया गया कि चालू विधान सभा सत्र के अवसान के बाद फ्लैटों और दूकानों के लिए मुहरबंद विडों/प्रस्तावों को खोलने की संशोधित तारीखों की घोषणा की जाएगी।

सरकार द्वारा इस नीतिगत निर्णय को ध्यान में रखते हुए, कि आवेदकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे पिछले 15 वर्षों से महाराष्ट्र में अपने लगातार निवास को प्रमाणित करने वाला वैध अधिवास प्रमाणपत्र जमा/प्रस्तुत करें, यह विचार किया गया कि इस शर्त को, प्राप्त हो चुके और टेण्डर - वॉक्सों में अनखुले पड़े मुहरबंद विडों के मामले में पूर्वकालिक प्रभाव से लागू किया जाए।

लेकिन, कानूनी सलाह के अनुसार, एसपीपीएल इस शर्त को आज की तारीख में फ्लैटों और दूकानों के लिए प्राप्त हो चुके विडों पर लागू नहीं कर सकता, क्योंकि निविदा सूचना में ऐसा कोई खण्ड नहीं है, जो एसपीपीएल को, इनकी प्राप्ति के बाद शर्तें जोड़ने या उन्हें संशोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हो। इसलिए कानूनी सलाह के अनुसार, एसपीपीएल वचे हुए फ्लैटों / दूकानों की विक्री के लिए की गई संपूर्ण निविदा / विड प्रक्रिया को वापस ले रहा है, जिसके लिए क्रमशः 09 और 11 जून 2009 तक प्रस्ताव प्राप्त किए गए थे तथा जिन्हें क्रमशः 10 और 12 जून 2009 को खोला जाना था। अतः एसपीपीएल कार्यालय में अनखुले पड़े विडों को निरस्त माना जाए।

उक्त वापस लेने और निरस्तीकरण प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आवेदकों / विड करने वालों (जिन्होंने फ्लैटों और दूकानों की खरीद के लिए एसपीपीएल को मुहरबंद विड प्रस्तुत किए हैं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है और अनुरोध किया जाता है कि वे 03 अगस्त 2009 से एसपीपीएल के कार्यालय से कार्यालय समय के दौरान मूल रसीद देकर एसपीपीएल के लेखा विभाग से अपने भुगतान आदेश / डी . डी ., प्रत्येक रु . 50,000 की राशि वाले, प्राप्त कर लें।

इसके अलावा एसपीपीएल एतद द्वारा नए सिरे से जी एन वार्ड मुंबई - 17 के धारावी डिवीजन के प्लॉट सी . एस . सी . 25 (भाग) 45 (भाग) और 55 (भाग) पर अपनी झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत माटुंगा लेवर कैम्प (एमएलसी) में स्थित भूतल+ 7 आरसीसी भवनों यानी (एम 1), (एम 2), और (एम 3) में वचे हुए 23 फ्लैटों और 15 दूकानों की विक्री के लिए मुहरबंद प्रस्ताव/ विड आमंत्रित करता है।

1 जो व्यक्ति फ्लैटों और दूकानों की खरीद करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे 07 अगस्त 2009 को या उसके पहले फ्लैट या प्रत्येक दूकान के लिए, प्रति खाली आवेदन फार्म रु 250 . का नगद भुगतान कर, खाली आवेदन फार्म खरीद लें (आवेदन शुल्क की राशि वापस नहीं की जाएगी) आवेदन फार्म महाप्रबंधक (विपणन), शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेड, पाँचवाँ माला, गृह निर्माण भवन, वांद्रा (पूर्व) मुंबई - 51 के कार्यालय में सभी कार्यदिवसों को पराह्न 11.00 वजे अपराह्न 5.00 वजे तक विक्री के लिए उपलब्ध हैं।

2 एक बार फिर यह सूचित किया जाता है कि :

(अ) एम 3 भवन के पहले, छठे तथा सातवें तलों पर 1 एक के केवल 4 फ्लैट, जिनमें से प्रत्येक का निर्मित क्षेत्रफल 362 वर्गफीट है, और भूतल पर विविध निर्मित क्षेत्रफल वाली 6 दूकानें विक्री के लिए उपलब्ध हैं एम 3 विक्री वाला भवन है जिसमें 39 फ्लैट पहले ही बेचे जा चुके हैं तथा उक्त भवन को फ्लैटमालिकों की रजिस्टर्ड समिति को पहले ही सौंपा जा चुका है।

(ब) लेकिन एम 1 भवन में केवल 2 फ्लैट भूतल पर विक्री के लिए उपलब्ध है और एम 2 भवन में भूतल और पहले तल पर 17 फ्लैट और 9 दूकानें विक्री के लिए उपलब्ध हैं एम 1 और एम 2 भवन मिश्रित प्रकार के हैं यानी उनमें विक्री और पुनर्वसन दोनों के लिए आवास है।

3 वचे हुए फ्लैटों और दूकानों की विक्री मुहरबंद विड निविदा के आधार पर होगी।

4 सभी भवनों में फ्लैटों के लिए आधार दर (अपसेट कीमत) विक्रीयोग्य निर्मित क्षेत्रफल पर @ रु . 2,350 /- प्रति वर्गफुट निर्धारित की गई है और दूकानों के लिए आधार दर विक्रीयोग्य निर्मित क्षेत्रफल पर @ रु . 4,620/- प्रति वर्गफुट निर्धारित की गई है।

नोट: प्रत्येक फ्लैट और दूकान का चटाई क्षेत्र (कार्पेट एरिया) आवेदन फार्म पुरतिका में दिया गया है।

5 जो व्यक्ति फ्लैटों और दूकानों की खरीद करना चाहते हैं उन्हें उपर (4) में उल्लिखित आधार दर से अधिक दर का प्रस्ताव देना होगा संबंधित फ्लैट / दूकान के लिए उच्चतम विड देने वाले को ही आवंटन का प्रस्ताव दिया जाएगा।

6 विधिवत भरे हुए मुहरबंद आवेदन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख फ्लैटों के लिए 11 अगस्त 2009 और दूकानों के लिए 13 अगस्त 2009 रखी गई है फ्लैटों के लिए मुहरबंद आवेदन फार्म 12 अगस्त 2009 और दूकानों के लिए 14 अगस्त 2009 को एसपीपीएल कार्यालय में खोले जाएंगे क्रमशः फ्लैटों और दूकानों के लिए मुहरबंद विड खोलने के समय इच्छुक आवेदक उपस्थित रह सकते हैं।

7 (अ) मुहरबंद विडों को खोलने के बाद सफल विड को 30 दिन के अंदर, पिछले 15 वर्षों से महाराष्ट्र में अपने लगातार निवास को प्रमाणित करने वाला दस्तावेजी साक्ष्य (अर्थात् अधिवास प्रमाणपत्र) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा इसमें असफल रहने पर प्रस्ताव / विड रद्द कर दिया जाएगा।

(ब) किसी भी आवेदन को, बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार एसपीपीएल के पास सुरक्षित है इस सूचना और आवेदन फॉर्म में निर्धारित शर्तों का पालन करने वाला व उच्चतम विड करने वाला ही फ्लैट / दूकान के सफल विड के लिए अपने नाम पर स्वीकरण पत्र के निर्गम के लिए पात्र माना जाएगा।

8 बयाना जमा राशि, साइट प्लान, लोकेशन प्लान, यूनिट प्लान, टिपिकल प्लान, विक्री कार्यविधि, विक्रीयोग्य निर्मित क्षेत्रफल, कार्पेट एरिया, अपसेट कीमत, आरक्षित राशि तथा शर्तों आदि की विस्तृत जानकारी क्रमशः फ्लैटों और दूकानों के आवेदन फॉर्मों में दी गई है।

सं. एसपीपीएल/जीएम (मार्केटिंग)/एमएलसी/1065/2009

हरताक्षरित/-
महाप्रबंधक (विपणन)

दिनांक: 31-07-2009

SPPL do not have any
Max Rating / Selling Agency / Agents.